

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिए)

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

भूमि अर्जन, पुर्नवासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार नियम 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अन्तर्गत नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आयचित है, अर्थात :-

जिला	तहसील	ग्राम नगर	क्षेत्रफल	लोक प्रयोजन का विवरण
गौरैला-पेण्ड्रा-मरवाही	मरवाही	करहनी	3.682 हेक्टेयर	सिवनी लखनघाट चंगेरी मार्ग निर्माण हेतु।

उपरोक्त उल्लिखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जनसुनवाई (दिनांक) 30/7/21 को (समय) 12:00 बजे (स्थान) पोपहर - पंचायत पर नियत की गई है।
पोपहर भवन खरनी

प्रस्तावित भूमि का अन्य विवरण निम्नानुसार है :-

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	सिवनी लखनघाट चंगेरी मार्ग निर्माण हेतु।
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	27
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्रों में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्रों में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है?	हाँ
(सात)	क्या संभव विकल्पों ओर इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है?	हाँ
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	रु. 481.57 लाख
(नौ)	परियोजना से होने वाले लाभ	सुचारु आवागमन हेतु
(दस)	प्रस्तावित समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय।	उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 द्वारा दर्शायी गई तथा उपाय का अनुपालन किया जावेगा तथा संभावित व्यय रु. पांच लाख या वास्तविक व्यय जो भी अधिक हो।
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
मरवाही, जिला-गौरैला पेण्ड्रा मरवाही (छ.प्र.)

सुश्री नम्रता गांधी (आई.ए.एस.)
कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन


राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग


पृ.क्रमांक 3146 / भू-अर्जन / 2021-22


पेण्डारोड, दिनांक 9/7/2021

प्रतिलिपि :-

- (1) सचिव, छ.ग. शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- (2) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मरवाही, जिला गौरेला-पेण्डा-मरवाही को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- (3) कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग पेण्डारोड की ओर सूचनार्थ। कृपया अधिसूचना का प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन कराकर प्रकाशन की प्रति तत्काल अनुविभागीय अधिकारी (रा0) एवं भू-अर्जन अधिकारी मरवाही, जिला गौरेला-पेण्डा-मरवाही को उपलब्ध करावें।
- (4) प्रभारी अधिकारी (एन.आइ.सी.) पेण्डारोड, जिला गौरेला-पेण्डा-मरवाही को सूचनार्थ। कृपया अधिसूचना को छ.ग. शासन राजस्व विभाग के वेबसाइट एवं स्थानीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
- (5) तहसीलदार मरवाही, जिला गौरेला-पेण्डा-मरवाही को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया सूचना का प्रकाशन सूचना पटल में किया जाकर ग्राम में मुनादी कराई जावे।
- (6) सचिव, ग्राम पंचायत विकासखण्ड मरवाही, जिला गौरेला-पेण्डा-मरवाही को सूचनार्थ। उपरोक्त अधिसूचना का संबंधित ग्राम में मुनादी कराई जावे। सुनवाई तिथि को आवश्यक व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित करें।


अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
मरवाही, जिला-गौरेला पेण्डा मरवाही (छ.ग.)


सुश्री नम्रता गांधी (आई.ए.एस.)
कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन

 राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिए)

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

भूमि अर्जन, पुर्नवासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार नियम 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अन्तर्गत नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आयचित है, अर्थात :-


जिला	तहसील	ग्राम नगर	क्षेत्रफल	लोक प्रयोजन का विवरण
गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	मरवाही	लरकेनी	3.614 हेक्टेयर	सेवरा धनपुर सिवनी मार्ग निर्माण हेतु।


उपरोक्त उल्लिखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जनसुनवाई (दिनांक) 29/7/21 को (समय) 12:00 बजे (स्थान) ग्राम-पंचायत पर नियत की गई है।
पोपट्ट लरकेनी


प्रस्तावित भूमि का अन्य विवरण निम्नानुसार है :-

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	सेवरा धनपुर सिवनी मार्ग निर्माण हेतु।
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	39
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्रों में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्रों में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है?	हाँ
(सात)	क्या संभव विकल्पों ओर इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है?	हाँ
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	रु. 2603.37 लाख
(नौ)	परियोजना से होने वाले लाभ	सुचारु आवागमन हेतु
(दस)	प्रस्तावित समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय।	उचित प्रतिकर और परदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 द्वारा दर्शायी गइ तथा उपाय का अनुपालन किया जावेगा तथा संभावित व्यय रु. पांच लाख या वास्तविक व्यय जो भी अधिक हो।
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी।


अनुभागीय अधिकारी (स.)
मरवाही, जिला-गौरेला पेण्ड्रा मरवाही (उ.प्र.)


सुश्री नम्रता गांधी (आई.ए.एस.)
कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन


 राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग


पृ.क्रमांक ...3143... / भू-अर्जन / 2021-22


पेण्डारोड, दिनांक 9/7/2021

प्रतिलिपि :-

- (1) सचिव, छ.ग. शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- (2) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मरवाही, जिला गौरेला-पेण्डा-मरवाही को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- (3) कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग पेण्डारोड की ओर सूचनार्थ। कृपया अधिसूचना का प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन कराकर प्रकाशन की प्रति तत्काल अनुविभागीय अधिकारी (रा0) एवं भू-अर्जन अधिकारी मरवाही, जिला गौरेला-पेण्डा-मरवाही को उपलब्ध करावें।
- (4) प्रभारी अधिकारी (एन.आइ.सी.) पेण्डारोड, जिला गौरेला-पेण्डा-मरवाही को सूचनार्थ। कृपया अधिसूचना को छ.ग. शासन राजस्व विभाग के वेबसाइट एवं स्थानीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
- (5) तहसीलदार मरवाही, जिला गौरेला-पेण्डा-मरवाही को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया सूचना का प्रकाशन सूचना पटल में किया जाकर ग्राम में मुनादी कराई जावे।
- (6) सचिव, ग्राम पंचायत विकासखण्ड मरवाही, जिला गौरेला-पेण्डा-मरवाही को सूचनार्थ। उपरोक्त अधिसूचना का संबंधित ग्राम में मुनादी कराई जावे। सुनवाई तिथि को आवश्यक व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित करें।


अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
मरवाही, जिला-गौरेला पेण्डा मरवाही (छ.ग.)


सुश्री नम्रता गांधी (आई.ए.एस.)
कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन

 राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिए)
कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
अधिसूचना

भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार नियम 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अन्तर्गत नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आयोजित है, अर्थात :-

जिला	तहसील	ग्राम नगर	क्षेत्रफल	लोक प्रयोजन का विवरण
गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	मरवाही	धनपुर	1.565 हेक्टेयर	सेवरा धनपुर सिवनी मार्ग निर्माण हेतु।


उपरोक्त उल्लिखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जनसुनवाई (दिनांक) 28/7/21 को (समय) 12:00 बजे (स्थान) ग्राम - पंचायत पर नियत की गई है।
पोस्टर अलग धनपुर

प्रस्तावित भूमि का अन्य विवरण निम्नानुसार है :-

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	सेवरा धनपुर सिवनी मार्ग निर्माण हेतु।
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	58
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्रों में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्रों में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है?	हाँ
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है?	हाँ
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	रु. 2603.37 लाख
(नौ)	परियोजना से होने वाले लाभ	सुचारु आवागमन हेतु
(दस)	प्रस्तावित समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय।	उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 द्वारा दर्शायी गई तथा उपाय का अनुपालन किया जावेगा तथा संभावित व्यय रु. पांच लाख या वास्तविक व्यय जो भी अधिक हो।
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी।


अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
मरवाही, जिला-गौरेला पेण्ड्रा मरवाही (छ.ग.)


सुश्री नम्रता गांधी (आई.ए.एस.)
कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग


पृ.क्रमांक 3149 / भू-अर्जन / 2021-22

पेण्डारोड, दिनांक 9/7/2021

प्रतिलिपि :-

- (1) सचिव, छ.ग. शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- (2) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मरवाही, जिला गौरेला-पेण्डा-मरवाही को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- (3) कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग पेण्डारोड की ओर सूचनार्थ। कृपया अधिसूचना का प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन कराकर प्रकाशन की प्रति तत्काल अनुविभागीय अधिकारी (रा0) एवं भू-अर्जन अधिकारी मरवाही, जिला गौरेला-पेण्डा-मरवाही को उपलब्ध करावें।
- (4) प्रभारी अधिकारी (एन.आइ.सी.) पेण्डारोड, जिला गौरेला-पेण्डा-मरवाही को सूचनार्थ। कृपया अधिसूचना को छ.ग. शासन राजस्व विभाग के वेबसाइट एवं स्थानीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
- (5) तहसीलदार मरवाही, जिला गौरेला-पेण्डा-मरवाही को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया सूचना का प्रकाशन सूचना प्रतल में किया जाकर ग्राम में मुनादी कराई जावे।
- (6) सचिव, ग्राम पंचायत विकासखण्ड मरवाही, जिला गौरेला-पेण्डा-मरवाही को सूचनार्थ। उपरोक्त अधिसूचना का संबंधित ग्राम में मुनादी कराई जावे। सुनवाई तिथि को आवश्यक व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित करें।


अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
मरवाही, जिला-गौरेला पेण्डा मरवाही (छ.ग.)


सुश्री नम्रता गांधी (आई.ए.एस.)
कलेक्टर एवं प्रदेन उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग